



अष्टादश बिहार विधान सभा
द्वितीय सत्र
ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-09.02.2026 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

1. श्री श्रीभगवान सिंह,
स०वि०स० एवं
श्री राजू कुमार सिंह,
स०वि०स०

“भोजपुर जिला के जगदीशपुर विधान सभा सहित सभी जिलों में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत चयनित सड़कों का निर्माण गति बिल्कुल धीमा है। ग्रामीण कार्य

अतः जगदीशपुर सहित सभी जिलों में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत चयनित सड़कों का निर्माण यथाशीघ्र कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।”

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता, संवि०स०
 श्री भाई वीरेन्द्र, संवि०स०
 श्री अजय कुमार, संवि०स०
 श्री सतीश कुमार सिंह यादव,
 संवि०स०
 श्री जितेन्द्र कुमार राय, संवि०स०
 श्री श्रीभगवान सिंह कुशवाहा,
 संवि०स०
 श्री राजेश कुमार सिंह, संवि०स०
 मोहम्मद मुरिद आलम, संवि०स०
 श्री आलोक कुमार मेहता, संवि०स०
 श्रीमती सावित्री देवी, संवि०स०
 श्री अभिषेक रंजन, संवि०स०
 श्री माधव आनंद, संवि०स०
 श्री मनोज विश्वास, संवि०स०
 श्री सुरेंद्र प्रसाद, संवि०स०

"सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र संख्या-12679, दिनांक-09.08.2024 द्वारा तांती को अनुसूचित जाति का दर्जा वापस लेते हुए अत्यंत पिछड़ा श्रेणी में डाल दिया। राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती संस्थानों परीक्षा BPS TRE 3.0, BTSC TECHNICIAN, BIHAR POLICE CONSTABLE, BPS 69TH MAINS, BPS HEAD TEACHER, SSC STENOGRAPHER, BIHAR SSC, COURT STENOGRAPHER, विश्वविद्यालय चयन आयोग, NEET, CSIR, NET, ANM BHPCL, BSSC Stenographer, BELTRON में शामिल तांती/ततवा अभ्यार्थी जो पान जाति प्रमाण-पत्र शामिल छात्रों को नियुक्ति/नामांकन प्रक्रिया के बीच प्रक्रिया के बाद जवाहरिंग नहीं कराया। मेडिकल/इंजीनियरिंग, नवोदय विद्यालय से नामांकित बच्चों को निकाल दिया गया। जो बिहार सरकार के पत्रांक-15, दिनांक-28.11.2012 तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के आदेशों के विपरीत है। बिहार सरकार के विभिन्न भर्ती संस्थानों के द्वारा नियुक्ति/नामांकन प्रक्रिया के बीच नियम बदलकर तांती/ततवा अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने वाले उन सभी आदेशों की समीक्षा करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।"

सामान्य प्रशासन


ज्ञाप सं०-घ्या०प्र०-04/2026-

51

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/वि०स०, पटना, दिनांक-

6 फरवरी, 2026 ई०।


(रविन्द्र पंडित) 06.2.26
अवर सचिव,


ज्ञाप सं०-घ्या०प्र०-04/2026-

51

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/वि०स०, पटना, दिनांक-

6 फरवरी, 2026 ई०।


(रविन्द्र पंडित) 06.2.26
अवर सचिव,


ज्ञाप सं०-घ्या०प्र०-04/2026-

51

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/वि०स०, पटना, दिनांक-

6 फरवरी, 2026 ई०।


(रविन्द्र पंडित) 06.2.26
अवर सचिव,


ज्ञाप सं०-घ्या०प्र०-04/2026-

51

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

/वि०स०, पटना, दिनांक-

6 फरवरी, 2026 ई०।


(रविन्द्र पंडित) 06.2.26
अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।